

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 03 / 2025 / सरफैसी

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 203 एवं 204, द्वितीय तल, 'ए विंग' नवभारत एस्टेट, जकारिया, बुन्दर रोड, सेवरी, (वेस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र 400015 शाखा कार्यालय: प्रथम तल, मरुधर प्लाजा, एफ-300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिल्लर नंबर 102 के सामने, सोडाला, जयपुर, राजस्थान

.....प्रार्थी

बनाम

1. भीम सिंह झाला आवासीय पता- विजनवास, तहसील मावली, उदयपुर 313201
सम्पत्ति पता- पट्टा न. 51928, ग्राम विजनवास, पंचायत समिति मावली, माताजी मन्दिर के पास, उदयपुर
2. जशोदा कुंवर आवासीय पता- विजनवास, तहसील मावली, उदयपुर 313201
सम्पत्ति पता- पट्टा न. 51928, ग्राम विजनवास, पंचायत समिति मावली, माताजी मन्दिर के पास, उदयपुर
3. हरि सिंह झाला पता- 64, झालो का गुडा, कैलाशपुरी, नाथद्वारा, उदयपुर राज.।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: सुश्री पुजा कुमारी जाट अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21-1-25

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि कुल 7,23,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (भीम सिंह झाला पुत्र श्री मैरुसिंह झाला की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा न. 51928, (मिसल सं. 28/2017-18, बुक सं. 51901-51950, संकल्प सं. 02 दिनांक 20.11.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा) ग्राम पंचायत विजनवास, पंचायत समिति मावली, उदयपुर राजस्थान 313201 में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2470 वर्गफीट है, जिसकी सीमाएं:- पूर्व में लालसिंह पुत्र जोरावर सिंह की भूमि, पश्चिम में किशनसिंह पुत्र जोरावर सिंह की भूमि, उत्तर में हरिसिंह पुत्र ओनार सिंह की भूमि, दक्षिण में रास्ता) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 13.06.2024 तक कुल रुपये 8,42,966/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी

जिला कलक्टर
उदयपुर

ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 7,23,000/- की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 13.06.2024 तक कुल रूपये 8,42,966/-रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयों को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **(मीम सिंह झाला पुत्र श्री भैरूसिंह झाला की एक आवासीय सम्पत्ति पट्टा न. 51928, (मिसल सं. 28/2017-18, बुक सं. 51901-51950, संकल्प सं. 02 दिनांक 20.11.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा) ग्राम पंचायत विजनवास, पंचायत समिति मावली, उदयपुर राजस्थान 313201 में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2470 वर्गफीट है, जिसकी सीमाएं:- पूर्व में लालसिंह पुत्र जोरावर सिंह की भूमि, पश्चिम में किशनसिंह पुत्र जोरावर सिंह की भूमि, उत्तर में हरिसिंह पुत्र ओनार सिंह की भूमि, दक्षिण में रास्ता)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर